समाचार

वैक्सीनेशन कराने लोगों को जागरूक करें संगठन–आयुक्त

(आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने ली स्वयंसेवी संगठनों की बैठक, प्राथमिकता क्रम में किए जा रहे वैक्सीनेशन कार्य में सहयोग की अपील की)

कोरबा 23 मार्च 2021 –आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों व सदस्यों से आग्रह करते हुए कहा है कि प्राथमिकता क्रम में किए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन के कार्य में वे अपना पूरा सहयोग दें, लोगों को जागरूक करें, उन्हें समझायें ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। संगठनों से जुड़े पदाधिकारी व सदस्यगण स्वयं वैक्सीनेशन कराएं तथा वैक्सीन के प्रति यदि किसी में कोई भ्रांति है तो उन्हें समझाकर उनकी भ्रांतियां दूर करें।

नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने नगर के स्वयंसेवी संगठनो की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में बताया गया कि प्राथमिकता क्रम में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं 45 से 59 वर्ष के ऐसे व्यक्तियों जो गंभीर रोगों (कोमार्बिड) से पीड़ित है, उनके वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर विभिन्न चिन्हाकित अस्पतालों में किया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार इस पर काम कर रही है, निगम द्वारा वार्ड एवं बस्तियो में मुनादी कराई जा रही है। वैक्सीनेशन के इस कार्य में स्वयंसेवी संगठन अपना पूरा सहयोग दें, अपने सदस्यों के माध्यम से वैक्सीन को लेकर लोगों में जनजागरूकता लाने का कार्य करें, वैक्सीन को लेकर यदि किसी के मन में कोई भ्रांति है तो समझाईश देकर उनकी भ्रांतियों को दूर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं। उन्होने कहा कि वैक्सीनेशन एक रक्षा कवच है तथा वैक्सीनेशन से ही कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। बैठक में अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त बी.पी.त्रिवेदी व पवन वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार कमलेश यादव, संगठन के पदाधिकारी आर.पी.तिवारी, अरूण कुमार शर्मा, गणेश कुलदीप, लक्ष्मण प्रसाद पटेल, शिवनारायण श्रीवास, जे.के.तिवारी, सच्चिदानंद राय, जे.के.पाण्डेय, आर.के.शर्मा, आर.के. वर्मा, मोहन श्रीवास आदि के साथ अन्य लोग उपस्थित थे।

अनिवार्य रूप से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं– आयुक्त श्री जयवर्धन ने आमनागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सावधानी बरता जाना अत्यंत आवश्यक है, अतः कोविड प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करें। घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाएं, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होने निगम के जोन कमिश्नरों व मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखें तथा उन पर अर्थदण्ड लगाएं, साथ ही कड़ी हिदायत भी दें। उन्होने दुकानदारों, व्यवसायियों से भी अपील की है कि वे अपने दुकानों, प्रतिष्ठानों में बिना मास्क किसी को प्रवेश न करने दें तथा दुकानों में अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं।